**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1470**

**01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

 **सीमाओं/फील्ड क्षेत्रों में सैनिकों के लिए विशेष वर्दी**

**1470. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार ने देश की सीमाओं /फील्ड क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए विशेष वर्दियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा उपकरण/वस्त्र खरीदने की समयबद्ध खरीद के संबंध में निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खरीद कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार सैनिकों की वर्दी के संबंध में आवधिक समीक्षा और आवश्यक उन्नयन के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

 **उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) : देश की सीमाओं /फील्ड क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए विशेष वर्दी की जरूरत का आकलन नियमित रूप से किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नई मदों /मौजूदा मदों के उन्नत रुपांतर को शामिल करने के लिए प्रावधान किए जाते हैं ।

(ख) और (ग): सरकार प्राधिकार के अनुसार समय-समय पर सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटों (बीपीजे) और अन्य आवश्यक सुरक्षा गियर्स / वस्त्रों की अधिप्राप्ति करती है । वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व रूट के माध्यम से भारतीय सेना के लिए 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेटों की अधिप्राप्ति की गई है । 1,86,38 बुलेट प्रूफ जैकेटों की अधिप्राप्ति खरीदो (भारतीय) श्रेणी के अंतर्गत पूजीगत रूट के माध्यम से की गई है । इसके अलावा, पूंजीगत रूट के माध्यम से 1,58,279 बैलेस्टिक हेलमेट की अधिप्राप्ति के लिए एक संविदा दिसंबर, 2016 में पूरी की गई है।

(घ): विशेष वर्दी के उन्नत रुपांतरण का उन्नयन एवं प्रावधान एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए नियमित रूप से आवश्यक कदम उठाए जाते हैं ।

\*\*\*